कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–3275/11–सी–FP/UP/Trans/44753/2020, लखनऊ, दिनांकः मई 20 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर मण्डल,
मिर्जापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अंतर्गत 400 के0वी0 लीलो ओबरा विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–4840/मी0क्षे0/33, दिनांक 13.05.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में लीज समाप्त होने की तिथि गलत अंकित की गयी है। अतः सही तिथि अंकित कर संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
2. प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रकरण में लीज अवधि दिनांक 01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 01.10.2019 के पश्चात भी वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया गया है। अतः उल्लंघन के संबंध में सही स्थिति का उल्लेख करते हुये संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी/प्रभागीय वनाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
4. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428/11–सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
5. प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
6. प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
9. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
10. प्रस्ताव में संलग्न किया गया एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित दर के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें तथा पूर्व का Additional Information Detail से डिलिट करें।
11. प्रस्ताव में सेन्चुरी/वन्य जीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर का इको सेन्सिटिव जोन का गजट संलग्न नहीं किया गया है।
12. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 में गलत डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
13. उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पूर्ण पी0डी0एफ0 फाइल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाइल भी हो, पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acv-517

पत्रांकः— 3275 /11—सी—FP/UP/Trans/44753/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलबल हाईडिल कालोनी, गाजीपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acv-518